| न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़<br>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए। |
| --- | --- |

**धनबाई बनाम चतरबाई**
**प्रार्थना पत्र 212 आरटी एक्ट संख्या...02/11/2024**

28.03.2024 आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 2012 आर.टी.एक्ट 1955 का प्रार्थीया द्वारा जरिये अधिवक्ता अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि हाल आराजी खसरा नम्बर 208 रकबा 0.49 ,375 रकबा 0.40 हैक्टेयर वाके ग्राम मुनपुर तहसील राजगढ जिला अलवर मे स्थित है। अप्रार्थी संख्या 1 चतर बाई द्वारा प्रार्थीनी के पति कन्हैयालाल को बहला फुसलाकर मुझ प्रार्थिया को मृत बता कर उक्त विवादित आराजी का दान पत्र अपने पक्ष मे दिनांक 02.02.2022 को तहरीर करवा कर उप पंजीयक राजगढ के यहॉ पंजीबद्व करा लिया गया है। जिसकी आड मे अप्रार्थिया संख्या 1 चतर बाई प्रार्थिया को जबरन बेदखल कर स्वयं कब्जा करना चाहती है और निवेदन किया गया कि गलत दान पत्र के आधार पर अप्रार्थिया द्वारा नामान्तकरण दर्ज करवा लिया व प्रार्थिया को बेदखल कर दिया गया तो अप्रार्थिया को नापूर्ति होने वाली क्षति होगी।

प्रार्थिया को आराजी खसरा नम्बर 208 रकबा 0.49 ,375 रकबा 0.40 हैक्टेयर वाके ग्राम मुनपुर तहसील राजगढ जिला अलवर से जबरन बेदखल ना करे, न स्वयं कब्जा करे, न दान पत्र के आधार पर नामान्तकरण दर्ज करावे वो स्वीकार करावे तथा आराजी को किसी दीगर सख्स को जरिये रहन ,बय आदि द्वारा मुन्तकिल करे, रिकार्ड एवं मौके की यथारिथति बनाये रखने हेतु अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एवं बहस प्रार्थिया अधिवक्ता सुनी गई। प्रथम दृष्टया अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो विवादित आराजी खसरा नम्बर 208 रकबा 0.49 ,375 रकबा 0.40 हैक्टेयर वाके ग्राम मुनपुर तहसील राजगढ जिला अलवर की मौका एवं रिकार्ड की यथारिथति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस के तलब होकर पेश हो एवं प्रार्थिया रजिस्ट्रर्ड रसीद 3 दिवस मे न्यायालय मे प्रस्तुत करे । इस सम्बन्ध मे अप्रार्थीगण को कोई एजरात होतो दिनांक 9.5.2024 को उपस्थित होकर न्यायालय मे पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़
राजगढ़ जिला अलवर

ीख
क्म

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारी
अहकाम जो
हुक्म की तामी
जारी हुए।

15/01/25 पत्रावली पेश। वादी०

उप.। मूलवाद 09 R 5 CPC में
खारीज होने के कारण प्रा० पत्र
212 भी 09 R 5 CPC में खारीज
किया जाता है। पत्रावली नम्बर
से कम होकर जमा रेकर्ड भण्डार
हो।

(हस्ताक्षर)
SDO